एक नजर में

यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण हटाया

ग्वालियर। सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जून को ग्वालियर पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। यह कार्रवाई हजीरा चौराहा से चार शहर का नाका, हजीरा से ईंटैक मैदान, पाताली हनुमान और तानसेन नगर स्थित स्टेट बैंक चौराहा तक की गई। इस दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर लगी अस्थायी दुकानों, फल-सब्जी के ठेलों और अवैध रूप से रखे गए सामान को हटाया गया। नो-पार्किंग जोन में अवैध रूप से खड़े 5 वाहनों (लोडिंग गाड़ी, कार, ई-रिक्शा) पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। चेकिंग अभियान के दौरान एक बस पर मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा 15,500 रुपये का जुर्माना किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा, यातायात थाना प्रभारी सुबेदार अभिषेक रघुवंशी, नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल उपस्थित रहा।

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की

ग्वालियर 01 जून। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने ग्वालियर महानगर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, नशे के अवैध कारोबार तथा महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार एवं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त की हैं। भाजपा शासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय एवं मूकदर्शक बना हुआ है। यादव ने कहा कि ग्वालियर कभी अपनी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सौहार्द और सुरक्षित वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि शहर में चोरी, लूट, हत्या, अवैध नशे का कारोबार, महिलाओं के साथ अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी तत्व खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में असफल साबित हो रहा है।

सिंध नदी के धूमेश्वर घाट पर दर्दनाक हादसा, युवक डूबा

ग्वालियर, 1 जून। सिंध नदी के धूमेश्वर घाट पर दर्दनाक हादसा हो गया। पिकनिक की मस्ती मातम में बदल गई। नाबालिग़ ध्रुव सूर्यवंशी उम्र 17वर्ष निवासी डबरा पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन कि मौजूदगी में गोताखोरों की टीम खोजबीन कर रही है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पुलिस विस्तृत जानकारी ले रही है।

कांग्रेस ने स्थगित किए सीएम के पुतला दहन कार्यक्रम

ग्वालियर। जीतू पटवारी पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ग्वालियर शहर में आज आधा दर्जन स्थानों पर सीएम का पुतला दहन करने जा रही थी, इसे रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे लेकिन मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के कहने पर सभी ब्लॉकों में पुतला दहन कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। यह जानकारी सुरेंद्र यादव, अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर ने दी है।

निगम ने कहा- विजय खार को पूर्व में ही किया जा चुका है भुगतान

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत रहे विजय खार द्वारा अनावश्यक रूप से नियम विपरीत मांग की जाकर मांग ना पूरी होने पर आत्मदाह जैसे बातें की जाती रही हैं जबकि निगम द्वारा नियम अनुसार इनके प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय खार जनसुनवाई में हंगामा कर सकते हैं, इस मामले में नगर निगम के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इनकी सेवाएं 01 अक्टूबर 2024 को जनकार्य विभाग के प्रतिवेदन अनुसार संबंधित फर्म को वापस सौंपी जा चुकी हैं। सेवाएं फर्म को वापस किए जाने के उपरांत खार द्वारा निरंतर निगम कार्यालय, सी. एम. हेल्पलाइन ओर विभिन्न माध्यम से संपर्क कर पिछले वेतन भुगतान ओर पुनः कार्य पर लिए जाने की मांग/ शिकायत प्रस्तुत की जाती रही हैं। निगम सूत्रों के अनुसार खार द्वारा की जा रही शिकायतों के आधार पर परीक्षण कराया गया तथा जितनी अवधि में इनके द्वारा उपस्थित होकर कार्य किया गया, उस अवधि का प्रमाणित उपस्थिति प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान निगम द्वारा किया जा चुका है। इनके द्वारा सेवाएं वापस किए जाने के उपरांत भी कार्य किए जाना तथा वेतन भुगतान की मांग की जा रही है।किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा निगम में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भी इनके द्वारा कोई कार्य किया जाना प्रमाणित ना होने से भुगतान किया जाना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी इनके द्वारा बार बार शिकायत की जाना और अनावश्यक निगम कर्मचारियों/ अधिकारियों से अभद्रता की जाना, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत आती रहती है। श्री विजय खार मूलतः संबंधित एजेंसी के कर्मचारी हैं तथा निगम द्वारा केवल संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति प्रमाणीकरण/ कार्य प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान किया जाता है।

लापरवाही से चली गोली से महिला की मौत, आरोपी देवर गिरफ्तार

ग्वालियर। थाना थाटीपुर क्षेत्र के तृप्तिनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी देवर ने मजाक के दौरान लापरवाही से अवैध पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे उसकी भाभी ज्योति (31 वर्ष) की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। गत 31 मई को पुलिस को सूचना मिली कि अतर सिंह कुशवाह के घर में एक महिला की मौत हुई है और परिजन शव को छिपा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव एक फ्रीजर में कपड़े से ढंका हुआ मिला। जांच में सामने आया कि आरोपी देवर योगेश कुशवाह ने बच्चे के दष्टौन कार्यक्रम के लिए अवैध पिस्टल मंगवाई थी, जिससे मजाक के दौरान यह हादसा हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी विपेन्द्र सिंह चौहान की टीम ने मुख्य आरोपी योगेश कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही, मृत्यु की सूचना छिपाने और साक्ष्य मिटाने के प्रयास में मृतिका के ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सिरसौद में संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर कृषक संगोष्ठी आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 1 जून. कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा खरीफ फसलों की बोनी पूर्व संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन अंगीकृत ग्राम सिरसौद में किया गया। संगोष्ठी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई। संगोष्ठी में केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि खरीफ फसल तिल, ज्वार, धान एवं सब्जियों में पोषक तत्व प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि लगातार डी.ए.पी., यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की भौतिक एवं जैविक दशा खराब हो रही है। फसलों को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि गोबर की खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद से मिलते हैं। किसानों को कम से कम 2 साल के अंतराल में कार्बनिक खाद अवश्य डालनी चाहिए। जिससे भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति होती रहे। इसी क्रम में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह चौहान ने कृषकों को एकल फसल प्रणाली की जगह समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें शस्य फसलों के साथ-साथ, मौसमी सब्जियां, फल के बगीचे, केंचुआ खाद, मछली, मुर्गी एवं बकरी पालन आदि को बढ़ावा देकर कृषि में होने वाले जोखिम से बचा सकता है। साथ ही समय एवं धन की बचत करने के लिए धान की सीधी बुवाई विधि से धान लगाना चाहिए, जिससे आगामी फसल गेंहू की बोनी समय से की जा सके और लागत भी कम आए। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एस.सी. श्रीवास्तव ने अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से जहरीले हो रहे कृषि उत्पाद को सही करने हेतु प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया जिसमें जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र आदि बनाने एवं उपयोग के तरीके बताये।

भा.कृ.अ.प. क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉ. सुभाष कटारे ने संतुलित उर्वरकों का सब्जियों एवं आलू में प्रयोग के साथ-साथ आलू के रोग एवं कीट प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. मुरलीधर ने आलू की उन्नतशील प्रजातियों एवं तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में 100 से अधिक कृषक एवं कृषक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में भा.कृ.अ.प.-क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र द्वारा सहभागी कृषकों को जैव उर्वरक एसीटोबेक्टर की एक-एक बोटल भी खरीफ फसलों में उपयोग करने हेतु वितरित की गई।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत नोन अटेंड रहने पर अधिकारी का रूकेगा इंक्रीमेंट

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 1 जून. सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अटेंड नहीं करने पर संबंधित अधिकारी का एक इंक्रीमेंट रोका जाएगा अथवा सात दिवस का वेतन काटा जाएगा और आज की स्थिति में जिनकी शिकायतें नोन अटेंड है उन सभी को नोटिस जारी करें। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने समय सीमा की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।

निगम मुख्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में अपर आयुक्त टी प्रतीक राव, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे, सुरेश अहिरवार, एसएल बाथम सहित अन्य सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निगमायुक्त संघ प्रिय ने जल प्रदाय की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के समय पेयजल को लेकर सभी अधिकारी सतर्कता एवं सक्रियता से कार्य करें। इसके साथ ही शहर में जहां प्याऊ लगाये गए हैं यदि वह बंद है तो तत्काल संबंधित उपयंत्री को नोटिस जारी करें और सुनिश्चित करें कि सभी प्याऊ चालू रहें। उन्होंने कहा कि यदि उपयंत्री जल प्रदाय की लापरवाही के कारण पानी की समस्या हुई तो संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही प्लंबर रजिस्ट्रेशन के कार्य में लापरवाही को लेकर कार्यपालन यंत्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 1 जून. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को उप नगर ग्वालियर में 5.14 करोड रूपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। विकास कार्यों का भूमिपूजन करने ऊर्जा मंत्री तोमर इलैक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर

इलैक्ट्रिक स्कूटी से भूमिपूजन करने पहुंचे तोमर

कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे।

इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिरला नगर प्रसूति गृह की कायाकल्प किया गया है। इसी तरह सिविल अस्पताल हजीरा में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप नगर ग्वालियर में सड़क, बिजली व पेयजल सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा जेसी मिल श्रमिकों के बकाया स्वत्वों का जल्द निराकरण किया जायेगा। उन्हें उनका हक बहुत जल्दी मिले।

सरकार इस सम्बन्ध में अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रही है।

ऊर्जा मंत्री ने उप नगर ग्वालियर के बिरला नगर, स्थित वार्ड नंबर 12 और 15 में 50 क्वार्टर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जेसी मिल गेट से चार शहर का नाका तक 3 करोड़ की लागत से प्रस्तावित मेन ट्रंक सीवर लाइन परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा सुनियोजित शहरी विकास को गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने वार्ड नंबर 8, रामेश्वरी नगर में लगभग 29.32 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सीमेंट कांक्रीट रोड के निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगा तथा वार्ड के समग्र विकास को नई दिशा देगा।

विश्व ब्राह्मण दिवस पर गौरव सम्मान समारोह आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 1 जून. विश्व ब्राह्मण दिवस एवं आचार्य चाणक्य जन्मोत्सव के अवसर पर सोमवार को सिद्धपीठ गंगादास की बड़ी शाला में पूजन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महंत रामसेवक दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। आचार्य हरीश चंद्र भार्गव ने कार्यक्रम संयोजक राजकुमार पांडे एवं स्वागताध्यक्ष कपिल भार्गव से विधि विधान के साथ पूजन कराया। अध्यक्षता श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ की राष्ट्रीय महामंत्री मधु भार्गव ने की। इस अवसर पर महंत रामसेवक दास महाराज ने कहा कि आचार्य चाणक्य का जीवन राष्ट्र, धर्म और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के मूल्यों को आत्मसात कर समाज में एकता और समरसता को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। कपिल भार्गव ने कहा कि विश्व ब्राह्मण दिवस केवल एक समाज का उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की परंपरा का सम्मान है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं को आगे

बढ़ाने का आह्वान किया। कपिल भार्गव ने कहा कि आचार्य चाणक्य के विचार आज भी समाज और राष्ट्र के लिए प्रासंगिक हैं। राजकुमार पांडे ने समाज में समरसता, शिक्षा और संस्कारों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। समारोह के अंत में राजकुमार पांडे एवं कपिल भार्गव द्वारा पं. चंद्रशेखर शास्त्री, पं. विपिन शास्त्री, पं. उमाशंकर शास्त्री, डॉ. समीर भार्गव, पं. ब्रह्मदत्त पांडे, पं. दीपक शर्मा, पं. हरीश शास्त्री को विप्र कुल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। संचालन इंजी. विजय शर्मा ने किया। कार्यक्रम में श्रीराम शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, ममता कटारे, कांता शर्मा, हेमंत शर्मा किटोरा, डॉ. पुष्पांजलि पाठक, डॉ. अनिल कुमार शर्मा, देवेंद्र पाठक, रश्मि शर्मा, माया भारद्वाज, लालता प्रसाद मिश्रा, शशिकांत दीक्षित, नंदनी पांडे, देवेंद्र दुबे, श्रद्धा मिश्रा, भुवन शर्मा, राकेश शर्मा, बृजेश पाठक, मोहित भार्गव, नरेंद्र शर्मा बॉबी, सुनील गौतम, अमन मिश्रा, अभिषेक द्विवेदी, उत्कर्ष शर्मा आदि समाजजन एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

माधव नगर चौराहे के आगे सड़क पर हुआ गड्ढा तत्काल भरा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 1 जून. माधव नगर चौराहे के आगे पंजाब नेशनल बैंक के सामने सड़क पर पुरानी वाटर लाइन के ऊपर सड़क सेटलमेंट होने के कारण गड्ढा बन गया था। इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए गड्ढे को तत्काल भरवा दिया और सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा कराया।

नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुरेश अहिरवार ने बताया कि सड़क पर हुए गड्ढे की सूचना प्राप्त होने के बाद निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर संबंधित अमले को मौके पर भेजा गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गड्ढे को भरकर सड़क को सुरक्षित एवं सुगम बनाया, ताकि आम नागरिकों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर की सड़कों की नियमित निगरानी कर रहा है और कहीं भी सड़क क्षति या अन्य समस्या की जानकारी मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. 1609, स्थान: लोहागढ़, ढ़ोली बुआ का पुल पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती देवी उर्फ जयदेवी पत्नी श्री नारायण सिंह राजपूत के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000097416 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 166 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत-पत्र क्र. A1/312 (मृत्युउपरांत) दिनांक 06.02.2012 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 27.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/58955/59146/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती प्रेम राजपूत / स्व. श्री विजय राजपूत
पता: लोहागढ़, ढ़ोली बुआ का पुल, वार्ड- 39
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 01-06-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. .., स्थान: प्लाट क्र-74, कान्ता इन्क्लेव, हारकोटा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती गुलशन कुमार खत्री, चन्द्रप्रकाश खत्री / स्व. श्री शादीलाल खत्री के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. .. पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 646 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A11323616 दिनांक 13.11.2024 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे. क्रं. 17 पर दिनांक 27.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/58959/59150/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती लता राजपूत / श्री छविराम सिंह राजपूत
पता: प्लाट क्र-74, कान्ता इन्क्लेव, हारकोटा, वार्ड- 38
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 01-06-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. 35,36, स्थान: लोहागढ़ बजरिया पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रियासी बेगम / श्री गुलाम नबी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000098135,1000098139 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1450 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. मृत्युउपरांत-उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 01.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/58968/59159/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
जावेद मलिक / स्व. श्री गुलाम नबी
पता: लोहागढ़ बजरिया, वार्ड- 39
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 01-06-2026

आम सूचना

श्री निकिल पुत्र श्री कल्लू सेन के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम दतियागिर्द, तहसील दतिया नगर व जिला दतिया (म.प्र.) है जो नगर पालिका परिषद दतिया वार्ड क्र.01 में स्थित है जो भूमि 649/1, 649/2, 650/1/1, 650/1/2, 650/2, 652/1/1/2, 653/1/1/2, 655/1/1/2/1 एवं 655/2/1 ग्राम दतियागिर्द का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भूखण्ड दीगर, पश्चिम में-भूखण्ड किरन, उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में-मंदिर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती मेवा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्रीमती मेवा केवट द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती चंपा साहू पत्नी श्री कैलाश साहू को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी09592019ए1821361 दिनांक 05.12.2019 से विक्रय की गई। श्रीमती चंपा साहू द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री निकिल पुत्र श्री कल्लू सेन को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी22आईजीआर17182026ए100069166 दिनांक 20.01.2026 से विक्रय की गई। श्री निकिल द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, दतिया के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

पाल एकादश की टीम अगले दौर में पहुंची

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 1 जून. खेल एवं युवा कल्याण विभाग ग्वालियर तथा महादजी सिंधिया हॉकी अकादमी ग्वालियर एवं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय दर्पण मिनी हॉकी स्टेडियम पर आयोजित ज्ञान प्रकाश भटनागर की स्मृति में चल रही हॉकी प्रतियोगिता में आज के मैच में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अंकित पाल एकादश की टीम इशिका चौधरी एकादश की टीम को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया, मैच के चौथे मिनट में अंकित पाल एकादशी के मनिक वर्मा ने प्रशांत गोयल से मिले पास पर शानदार मैदानी गोलकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी, इशिका चौधरी हाउस की टीम ने पलटवार करते हुए

अंकित पाल एकादश के गोल पोस्ट पर लगातार हमले किये परंतु गोलकीपर अनुभव व्यास ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। मैच के 16 मिनट में अंकित पाल एकादश के सिद्धार्थ राठौर ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर को 2-0 कर दिया। दो गोल से पिछड़ने के बाद इशिका चौधरी हाउस के कप्तान वंश श्रीवास्तव ने एकल प्रयास करते हुए शानदार मैदानी गोलकर स्कोर 2-1 कर दिया। मैच के उत्तरार्ध में 42 मिनट में अंकित पाल एकादश की कप्तान नंदिता शर्मा ने पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया। मैच को बराबर करने के लिए इशिका चौधरी हाउस की टीम ने लगातार प्रयास किया और कई शानदार मूव बनाए परंतु अंकित पाल एकादश के शानदार डिफेंस ने सभी को विफल कर दिया परंतु लगातार प्रयास के कारण अंकित पाल एकादश के कप्तान वंश श्रीवास्तव ने अंशपाल के साथ मिलकर उनके गोल पोस्ट पर हमला किया और वंश श्रीवास्तव ने गोल स्कोर कर मैच का परिणाम 3-2 कर दिया जो कि अंतिम सीटी बजने तक कायम रहा और पाल एकादश ने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच सिद्धार्थ राठौर रहे। आज के मैच के मुख्य अतिथि सिंकु कुमार सिंह (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली के संयुक्त सचिव) रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिजा गर्ग (सोशल मीडिया प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा एवं सदस्य दिशा समिति जिला प्रशासन ग्वालियर) तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नेहा पटेल (महिला पतंजलि योग समिति जिला अध्यक्ष एवं राज कार्यकारिणी सदस्य) एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पार्षद नगर निगम अपर्णा पाटील मौजूद रहीं। वहीं विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता दीपा शर्मा, कुमारी नेहा शर्मा एवं निशी यादव मंच पर मौजूद रही।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 08 वार्ड क्रं 25, स्थान एस-1,रघुनाथ अपार्टमेंट,हरिओम कॉलोनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि संध्या सिंह/सुनील सिंह नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1001664150 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142592018ए1716045 दिनांक 25.10.2018 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र टप्पा तहसील मुरार क्षे.क्र 08, पर दिनांक को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं PT60449 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
अलका जैन/विनोद कुमार जैन
पता-हरिओम कॉलोनी ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-01.06.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 20 वार्ड क्रं 51,भवन क्रं 810, स्थान सिकंदर कम्पू ग्वा0 मे स्थित है जो कि केशव वाई/रघुराज सिंह वाई नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000083984 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र /वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज क्षे.क्र 20, पर दिनांक 01.06.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65621/65681 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
सत्यभामा देवी,बलवंत/स्व. श्री गोविंद
पता-सिंकदर कम्पू ग्वा0(म.प्र.),
मो0-8356498365
विज्ञप्ति जारी दिनांक-01.06.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15 वार्ड क्रं 42, भवन क्रं 939, स्थान उदाजी की पायगा ग्वा0 मे स्थित है जो कि वर्षा/प्रकाश अग्रवाल,कविता/दीपक अग्रवाल नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000069040 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-21062500861139 दिनांक 23.06.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 01.06.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48696/48663 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
जगदीश सिंघल/लक्ष्मीनारायण सिंघल
पता-उदाजी की पायगा ग्वा0(म.प्र.),
मो0-9893043000
विज्ञप्ति जारी दिनांक-01.06.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15 वार्ड क्रं 42,स्थान उदाजी की पायगा ग्वा0 मे स्थित है जो कि प्रकाश/प्रहलाद दास अग्रवाल, कविता/दीपक अग्रवाल नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000130463 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1590 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-23062500866947 दिनांक 23.06.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 01.06.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48695/48662 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
जगदीश सिंघल/लक्ष्मीनारायण सिंघल,प्रवीण/जगदीश सिंघल
पता-उदाजी की पायगा ग्वा0(म.प्र.)
मो0-9893043000
विज्ञप्ति जारी दिनांक-01.06.2026